

गैंग चार्ट अनुमोदन में लापरवाही

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने [इलाहाबाद उच्च न्यायालय](#) को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (नविवरण) नियम, 2021 का उल्लंघन करते हुए उचिति औचितिय के बनिा गैंग चार्ट को मंजूरी देने में लापरवाही के लयि अमरोहा के [ज़िला मजसि्ट्रेट](#) को स्थानांतरति करने के बारे में सूचिति कयिा ।

मुख्य बडि

- **मामले की पृष्ठभूमि:**
 - यह मामला उत्तर प्रदेश गरिहबंद और समाज वरिधी क्रयिकालाप (नविवरण) अधनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत उनके खलिाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लयि दायर एक रटि याचकिा से उत्पन्न हुआ ।
 - याचकिाकर्ता ने तरक दयिा कि न तो पुलसि अधीकषक (Superintendent of Police- SP) और न ही अमरोहा के ज़िला मजसि्ट्रेट (DM) ने गैंग चार्ट को मंजूरी देते समय संतुषटि दर्ज की ।
 - गैंग चार्ट एक दस्तावेज़ है जसिमें उत्तर प्रदेश गरिहबंद और समाज वरिधी क्रयिकालाप (नविवरण) अधनियम, 1986 से संबधति मामलों में अभयिकृत के आपराधकि इतहिास और अन्य प्रासंगकि जानकारी का वविरण होता है ।
- **उच्च न्यायालय की टपिपणयिाँ:**
 - न्यायमूर्ता वविक कुमार बडिला और न्यायमूर्ता अरुण कुमार सहि देशवाल की पीठ ने कहा कि SP-अमरोहा एवं DM-अमरोहा ने गैंग चार्ट तैयार करते समय संतुषटि दर्ज नहीं की, जैसा कि 2021 नयिमावली के नयिम 16(2) के तहत अपेक्षति है ।
 - इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि ज़िला मजसि्ट्रेट की कार्यवाही 2021 के नयिमों और सननी मशि्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में उच्च न्यायालय द्वारा नरिधारति दशिानरिदेशों दोनों के वपिरीत थी ।
 - न्यायालय ने इसे "सरासर लापरवाही" करार दयिा तथा अमरोहा में भी इसी प्रकार के मामले सामने आए, जहाँ अधिकारयिों ने नयिमों के अनुसार गैंग चार्ट ठीक से तैयार नहीं कयिा था ।
- **न्यायालय का अंतमि नरिणय:**
 - न्यायालय ने अधिकारयिों के खलिाफ सीधी कार्यवाही करने से परहेज कयिा और नरिणय राज्य सरकार पर छोड़ दयिा ।

उत्तर प्रदेश गरिहबंद और समाज वरिधी क्रयिकालाप (नविवरण) अधनियम, 1986

- **उद्देश्य:** गरिह-संबंधी एवं असामाजकि गतविधियिों को रोकना ।
- **कार्यकषेत्र:** संगठति अपराध, हसिक अपराधों या आदतन अपराधयिों में शामलि व्यक्तयिों को लकषति करता है ।
- **प्रावधान:**
 - वधिकि शब्दों में "गरिह" और "गैंगस्टर" को परभिषति करता है ।
 - यह प्राधकिारयिों को संदगिधों को हरिसत में लेने सहति नविवारक कार्यवाही करने की अनुमतति देता है ।
 - आपराधकि गतविधियिों से अरजति संपततयिों की कुरकी की अनुमतति देता है ।
 - यह अधनियम ज़िला मजसि्ट्रेटों और पुलसि को गैंग चार्ट (कसिी व्यक्तकि गैंग-संबंधी गतविधियिों का औपचारकि रकिॉर्ड) को मंजूरी देने का अधकिार देता है ।

उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजकि क्रयिकालाप (नविवरण) नयिम, 2021

- **उद्देश्य:** उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधनियम के कारयानवयन के लयि वसितुत दशिा-नरिदेश प्रदान करता है ।
- **प्रमुख प्रावधान:**
 - **संतुषटि दर्ज करना:** सकषम प्राधकिारी, आमतौर पर ज़िला मजसि्ट्रेट, को गैंग चार्ट को अग्रेषति और अनुमोदति करते समय संतुषटि दर्ज करनी चाहयि ।
 - **संयुक्त बैठक:** गैंग चार्ट को मंजूरी देने से पहले पुलसि अधीकषक और ज़िला मजसि्ट्रेट के बीच संयुक्त बैठकें अनविवार्य हैं ।
 - **उचिति प्रकरयिा:** यह सुनशिचिति करने के लयि प्रकरयिागत दशिा-नरिदेश वनरिदषिटि करता है कि गैंग चार्ट पूरी तरह से तैयार कयिा जाए और ठोस साकष्य पर आधारति हो ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/negligence-in-gang-chart-approval>

